

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार का एक उपक्रम)

34, हार्डिंग रोड, (अली इमाम पथ) पटना-800001 Ph: 0612-2204975) Fax : 0612-2215994

(Email=minocorpatna@gmail.com. website:www.bsmfc.org)

संख्या:..... बी० एस० एम० एफ० सी०, /

पटना

दिनांक:

स्वीकृत्यादेश

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार के ज्ञाप संख्या-909 दिनांक-11.07.2017 में वर्णित 15 ट्रेडों में राज्य सम्पौषित मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजनान्तर्गत जिला स्तरीय चयन समिति द्वारा दिनांक-18.08.2018 को चयनित आवेदकों में से निम्नांकित आवेदकों से प्रमण्डलीय प्रभारी द्वारा अररिया जिला के त्रुटिहीन कागजीकरण/दस्तावेज निष्पादित कराकर उनके द्वारा स्थल जाँच कर समर्पित किये गए स्थल जाँच प्रतिवेदन में ऋण राशि की स्वीकृति देने के लिए की गई अनुशंसा के आधार पर कुल 03 लाभुकों को उनके नाम के सामने अंकित ट्रेड में 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर दर्शाये गए ऋण राशि की स्वीकृति दी जाती है। साथ ही विभागीय पत्र संख्या 2127 दिनांक 05.12.2018 के तहत RTGS/NEFT के माध्यम से ऋण राशि भुगतान करने हेतु प्राप्त निदेश के आलोक में स्वीकृत ऋण राशि में से 0.5% प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में कटौती करने के पश्चात नीचे शुद्ध भुगतान के स्तम्भ में दर्शाये गये राशि सीधे सम्बन्धित लाभुक के बैंक खाता में RTGS/NEFT के माध्यम से अंतरित करने के लिए आदेश दिया जाता है :-

Sl. N O	चयन सूची क्र०	Appl_Name / F/H_Name & Address	Bank A/c No.	Trade	Sanctioned Loan Amount	Less 0.5% Processing Charge	Net Payable Amount
1.	909/01	MD NISHAT ALAM , S/o- GHULAM MUSTAFA , Vill.-GAIYARI, Block+PS-+ PO-GAIYARI , Distt.-ARARIA-854311	A/c No.:- 30420100002491, BARBOARARIA	CLOTH DUKAN	500000	2500	497500
2.	909/06	MOHAMMAD MUMTAZ ALAM , S/o- IDRIS, Vill.-BHUNA MAJGAMA , Block-JOKIHAT , PS-MAHALGAON , PO-BHUNA, Distt.-ARARIA-854325	A/c No.:- 32395519245, SBIN0000009	A.C REPAIRING	300000	1500	298500
3.	909/18	MD IMRAN ALAM , S/o- MD JAMIL , Vill.-ISLAM NAGER ,IDGAH TOLA, Block+ PS+PO-ARARIA , Distt.-ARARIA-854311	A/c No.:- 50100256301673, HDFC0002550	WATER PLANT	400000	2000	398000
				TOTAL	1200000	6000	1194000

स्वीकृत ऋण राशि में वर्णित ट्रेड में लाभार्थी द्वारा परिसम्पत्तियाँ/सामग्रियों का क्रय 30 दिनों के अन्दर में निश्चित रूप से कर लिया जाना है तथा ऋण राशि से सृजित की गयी परिसम्पत्तियाँ अथवा क्रय की गयी सामग्रियों की भौतिक जाँच कर प्रमण्डलीय कार्यालय के प्रभारी द्वारा प्रतिवेदन समर्पित किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत ऋण को ऋणधारक द्वारा ब्याज सहित 20 सामान त्रैमासिक किस्तों अर्थात् 5 वर्षों में वापस किया जाना है ।

ह0/-

प्रबंध निदेशक

ज्ञापांक:- 202

दिनांक: 06/02/19

प्रतिलिपि:- जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया/सभी ऋणधारकों/ऋण शाखा/ऋण शाखा (कम्प्यूटर सेल)/

लेखा शाखा/प्रमण्डलीय कार्यालय प्रभारी को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित ।

प्रबंध निदेशक